

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH
 नियम 54 (12) देखें/ See Rule 54 (12)
परिवार का ब्यौरा/DETAILS OF FAMILY

सरकारी कर्मचारी का नाम:

Name of the Governement servant :

पदनाम:

Designation :

जन्मतिथि:

Date of birth :

नियुक्ति की तारीख:

Date of appointment :

मेरे परिवार के सदस्यों का ब्यौरा:

* Details of the members of my family as on :

क्रम सं. Sl.No.	परिवार के सदस्य का नाम Name of the members of family	जन्म-तिथि Date of Birth	अधिकारी से संबंध Relationship with the officer	कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर Initials of the head of office	टिप्पणी Remarks
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

मैं एतद्द्वारा किसी भी वृद्धि / परिवर्तन के लिए कार्यालय प्रधान को अधिसूचित करते हुए ऊपर दिये गये विवरण को अद्यतन रखने का वचन देता हूँ ।

I hereby undertake to keep the above particulars up-to-date by notifying to the Head of Office any addition or alteration.

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर
Signature of Government servant

स्थान/Place :

दिनांक/Dated :

इस उद्देश्य के लिए परिवार का तात्पर्य सीसीएस पेंशन नियमावली, 1972 के नियम 54 के उप-नियम 14 के खंड (ख) में परिभाषित परिवार से है ।

** Family for this purpose means family as defined in Clause (b) of sub-rule (14) of Rule 54 of the CCS (pension) Rules, 1972.*

नोट: पत्नी और पति क्रमशः कानूनी तौर पर अलग हुए पत्नी और पति शामिल है ।

Note : Wife and husband shall include respectively judicially separated wife and husband.